

बिहार सरकार
गृह (आरक्षी) विभाग

अधिसूचना

फैक्स

पटना, दिनांक अप्रैल, 2013

पत्र संख्या-1/एल1-10-04/2013 गृ0आ0 /श्री रमेश चन्द्र सिन्हा,
भा0पु0से0, पुलिस महानिदेशक-सह-आयुक्त, नागरिक सुरक्षा, बिहार, पटना को अखिल
भारतीय सेवाएं (छुट्टी) नियमावली-1955 के नियम 10, 11 एवं 20 के अन्तर्गत दिनांक
18.05.2013 से 21.06.2013 तक कुल-35 (पैंतीस) दिनों की उपार्जित अवकाश की स्वीकृति
प्रदान की जाती है।

2. उक्त अवधि में श्री सिन्हा को उनके निजी खर्च पर इंग्लैण्ड एवं यूरोप के भ्रमण
की अनुमति दी जाती है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/-

(राजीव रंजन सिन्हा)

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक-1/एल1-10-04/2013 गृ0आ0

/पटना, दिनांक अप्रैल, 2013

प्रतिलिपि:-अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना-7 को सूचनार्थ

एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक-1/एल1-10-04/2013 गृ0आ0

/पटना, दिनांक अप्रैल, 2013

प्रतिलिपि:- महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, को सूचनार्थ एवं आवश्यक
कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक-1/एल1-10-04/2013 गृ0आ0 2687

/पटना, दिनांक 05 अप्रैल, 2013

प्रतिलिपि:-अवर सचिव (पुलिस) गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नार्थ ब्लॉक, नई
दिल्ली/पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना/ श्री रमेश चन्द्र सिन्हा, भा0पु0से0, पुलिस
महानिदेशक-सह-आयुक्त, नागरिक सुरक्षा, बिहार, पटना /आई0टी0 प्रबंधक, गृह विभाग को
सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।